कार्यालय ग्राम पंचायत पं.स. सुमेरपुर (पाली)

क्रमांक:- पंचायत / अतिक्रमण /

दिनांक :-

प्रारूप-3

-: आदेश / अंतिम नोटिस :-अन्तर्गत राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 165(3, 6)

(The Prevention Of Damage to Public Property Act, 1984)	
प्रेषित :	प्रकरण संख्या वर्ष वर्ष
प्रसंग :- इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्व पत्रांक	दि
जरिये नोटिस पूर्व में सूचित करने के उपरान्त भी आपके द्वारा उक्त प्रकरण में अतिक्रमण/अवैध निर्माण हटाने के आदेश की पालना रिपोर्ट इस कार्यालय को आदिनांक तक पेश नहीं की है, जो अपराध की श्रेणी में आता है। आप उक्त प्रकरण में आज ही अतिक्रमण/अवैध निर्माण को हटाकर लिखित में पालना रिपोर्ट दिनांक	
	सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी
कुमांक:- पंचायत / अतिकृमण /	दिनांक :
प्रतिलिपी :-	v
 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी / पुलिस उप अधीक्षक महोदय, सुमेरपुर श्री विकास अधिकारी, पं.स. / थानाधिकारी, पुलिस थाना 	
<u> </u>	
3. मौका स्थल / गांव के सार्वजनिक चौक पर सदृश्य चस्पा / रक्षित पत्रावली	

ग्राम विकास अधिकारी